



राज्य निर्वाचन आयोग  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

पत्र संख्या-पं0नि0 30-81/2024  
प्रेषक,

1724

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
समस्तीपुर।

पटना, दिनांक- 29.04.2026

विषय:- प्रखण्ड उजियारपुर ग्राम कचहरी भगवानपुर देसुआ के उप सरपंच के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।  
प्रसंग:- आपका पत्रांक 1582 दिनांक 18.04.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्रखण्ड उजियारपुर ग्राम कचहरी भगवानपुर देसुआ के उप सरपंच का मृत्यु होने के फलस्वरूप उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के आलोक में प्रखण्ड उजियारपुर ग्राम कचहरी भगवानपुर देसुआ के उप सरपंच के रिक्त पद पर दिनांक 11.05.2026 को निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।

3. कृपया उप सरपंच के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उप सरपंच के निर्वाचन हेतु दिनांक 07.05.2026 तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए एवं इसे आयोग के पोर्टल पर अपलोड करा दी जाए। निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उप सरपंच को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर सहायता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक 05.05.2026 के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन रांध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को भी दी जा रही है।

5. उप सरपंच के निर्वाचन की सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। विडियोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि उप सरपंच के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापक पं0नि0 30-81/2024

1724

पटना, दिनांक - 29.04.2026

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/ सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

15.04.26